


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

संचिका सं०-5/अ०प्र०-05-17/2019 79 पटना, दिनांक:- 20.3.2020

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-3127 दिनांक 06.03.2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री कामेश्वर सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, पलासी, कार्य प्रमंडल, अररिया की आयु 50 (पचास) वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् विभागीय एवं व्यवसायिक परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने हेतु उनके द्वारा दिये गये आवेदन की तिथि-24.09.2019 के प्रभाव से उन्हें विभागीय एवं व्यवसायिक परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान की जाती है।


2. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


19/3/2020
(संजय दूबे)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक-5/अ०प्र०-05-17/2019 1862 पटना, दिनांक:- 20.3.2020

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



19/3/2020

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक-5/अ०प्र०-05-17/2019 1862 पटना, दिनांक:- 20-3-2020

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/
/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया/श्री कामेश्वर सिंह,
सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, पलासी, कार्य प्रमंडल,
अररिया/आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।




19/3/2020

सरकार के अपर सचिव